

स्थान : बोकारो

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19 के अधीन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बोकारो द्वारा आयोजित)

याची/वादी/परिवादी

भारतीय स्लेट बॉर्ड
भण्डारीरह शाखा
बोकारो

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी

श्रीमती लक्ष्मी मल्लिकार्जुन
पति एवं पुत्र माली
श्री. निरंजना, मे. भण्डारीरह
जिला - बोकारो

बोकारो न्यायालय/प्रतिधिकरण/समिति की कार्यवाही संख्या :

उपस्थिति :-

न्यायिक अधिकारी/सेवानिवृत्त अधिकारी का नाम : श्री S.D. Dwivedi, CJTD

सदस्यों का नाम : (1) श्री Suresh Kumar (Adv.)
(2) श्री Vijay Yadav (Adv.)
अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारणा के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता / परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-

आज दिनांक 23.06.2015 को भारतीय स्लेट बॉर्ड भण्डारीरह एवं श्रीमती लक्ष्मी मल्लिकार्जुन पति एवं पुत्र माली के बीच समझौता हुआ। पक्षकारों के बीच दिनांक 31.03.1998 को रु. 2011/- + चूर है। रु. 2700/- पर समझौता हुआ। दिनांक 21.02.15 को श्रीमती लक्ष्मी मल्लिकार्जुन द्वारा रु. 2700/- जमा किया गया। अतः इस खर्चा को रु. 2700/- निपटारा हो अतः कोई भी विवाद नहीं है,

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय की फीस, यदि कोई उनमें से किसी द्वारा संदत्त की गई है तो यह वापस की जाएगी।

याची / वादी / परिवादी



सदस्य

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी

न्यायिक अधिकारी

तारीख :

(प्राधिकरण / समिति की मुद्रा)